[illegible]
को पेश हो।

18.6.25 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित ~~[illegible]~~ प्रकरण वकील वादी की एकतरफा बहस पुर्व मे सुनी गई, बाद वादी का दावा स्वीकार किया जाता है, दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 29.7.25 को पेश हो।

29.7.25 पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक......
17.9.25 को पेश की जावे

17.9.25 पत्रावली पेश हुई S.D.O सा. केम्प मे पधारे है।
उभय पक्ष उप.
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 6.11.25
को पेश हो।

6.11.25 पत्रावली आज पेश हुई
पी.ओ साहब आज दौरे पर पधारे है
अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक......
25.11.25 को पेश की जावे

25.11.25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई, वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा अनुसर दावा अन्तिम डिक्री अनुसार किया जाने का निवेदन किया है। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखी जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्राति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

वाद संख्या 26 / 2024

मोहनलाल पिता छोगा जाति धाकड निवासी बागपाछलीखेडी तह0 बेगूँ
वादी

विरूद्ध

1 कन्हैयालाल पिता छोगा जाति धाकड निवासी बागपाछलीखेडी तह0 बेगूँ
2 श्रीमती गीताबाई पिता छोगा जाति धाकड निवासी बागपाछली खेडी तह0 बेगूँ हाल पत्नी कन्हैयालाल धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
3 श्रीमान तहसीलदार सा. भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांकः– 25.11.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बागपाछली खेडी पटवार हल्का गोविन्दपुरा की वर्तमान खतौनी सम्वत 2078 मे खाता संख्या 7 में निम्नलिखित आराजीयात अंकित स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
731	0.3640
732	2.2260
733	0.2270
736	0.1860
कीता–4 कुल रकबा	3.0030 हैक्टर

उपरोक्त वादपत्र की कलम संख्या 1 मं वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.5.2024 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते वंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी उक्त वर्णित मौजा बागपाछलीखेडी की आराजीयात आराजी संख्या 731, 732, 733, 736 योग किता 4 कुल रकबा 3.0030 हैक्टर भूमि में अपना निहित हक हिस्सा 1/2 को जरिये विभाजन पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एव बाउंड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा किये जाने हेतु वादी का यह वाद प्रस्तुत है। वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

वाद कारण दिनांक 12.5.2024 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी सं0 3 भूमिधारी होकर विभाजन केवाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये हैं।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है :–

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित मौजा बागपाछली खेडी पटवार हल्का गोविन्दपुरा की आराजी संख्या 731, 732, 733, 736 योग किता 4 कुल रकबा 3.0030 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 जरिये विभाजन मिट्स एण्ड बाउन्डस में पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गयें। प्रवितादी सं0 3 भूमिधारी इस विभाजन के वादपत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा वादपत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में एक तरफा साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ पत्र वादी मोहनलाल पिता छोगा धाकड के प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षण में दस्तावेज प्रदर्श कराते हुए वादी साक्ष्य को पूर्ण किया गया। पत्रावली में साक्ष्य वादी की एकतरफा पूर्ण होने के पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी एक तरफा बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए जमाबंदी में वादीका हिस्सा 1/2 का बंटवाडा कर खाता पृथक करने का निवेदन किया गया। बहस सुने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में प्रस्तत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादी का वर्णित कृषि आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज अंकित है। वादी अपने हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्राप्त है। जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने एवं प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा बागपाछलीखेडी पटवार हल्का गोवन्दिपुरा में स्थित आराजी संख्या 731, 732, 733, 736 योग किता 4 कुल रकबा 3.0030 हैक्टर भूमि में वादी मोहनलाल पुत्र छोगा का हिस्सा 1/2 होकर शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं0 1 व 2 का रखते हुए वर्णित कृषि आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/–रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के मध्य नियमानुसार करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है, प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक/राजस्व /2025/848 दिनांक 29.09.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बागपाछलीखेडी पटवार हल्का गोवन्दिपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मोहनलाल पिता छोगा धाकड सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मसे	0.221
732 मसे	1.038
736 सम्पूर्ण	0.186
कीता– 03	1.445 हैक्टर

2– श्री कन्हैयालाल पिता छोगा धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मसे	0.030
732 मसे	1.188
733 सम्पूर्ण	0.227
कीता– 03	1.445 हैक्टर

3– श्री कन्हैयालाल पिता छोगा धाकड 1/2 श्री मोहनलाल पिता छोगा धाकड 1/2 सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ हि. मोहनलाल का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मसे	0.113
कीता– 01	0.113 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या 26/2024

मोहनलाल पिता छोगा जाति धाकड निवासी वागपाछलीखेडी तह0 बेगूँ
वादी

विरूद्ध

1 कन्हैयालाल पिता छोगा जाति धाकड निवासी वागपाछलीखेडी तह0 बेगूँ
2 श्रीमती गीतावाई पिता छोगा जाति धाकड निवासी वागपाछली खेडी तह0 बेगूँ हाल पत्नी कन्हैयालाल धाकड निवासी धामंचा तह0 बेगूँ
3 श्रीमान तहसीलदार सा. भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूँ जिला चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र मंत्री की उपस्थिती एवं में तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता .....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बागपाछलीखेडी पटवार हल्का गोवन्दिपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री मोहनलाल पिता छोगा धाकड सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मेसे	0.221
732 मेसे	1.038
736 सम्पूर्ण	0.186
कीता– 03	1.445 हैक्टर

2– श्री कन्हैयालाल पिता छोगा धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मेसे	0.030
732 मेसे	1.188
733 सम्पूर्ण	0.227
कीता– 03	1.445 हैक्टर

3– श्री कन्हैयालाल पिता छोगा धाकड 1/2 श्री मोहनलाल पिता छोगा धाकड 1/2 सा. देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक शाखा बेंगूँ हि. मोहनलाल का

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
731 मेसे	0113
कीता– 01	0.113 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बे

क्रमांक/सरिश्ता/2025/947 दिनांक :– 26/11/25

दावा संख्या 26/2024 व अनवान मोहनलाल बनाम कन्हैयालाल वगै वाद अ0धा0 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ